

# मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी सेवाओं और अवयस्क लड़कियों के लिए योजनांगत अनुपूरक पोषाहार के संशोधित लागत मानदंडों को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने भविष्य में दरों में वृद्धि के लिए वार्षिक लागत सारणीकरण को भी मंजूरी दी है

सरकार गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, 0-6 वर्ष के बच्चों, और स्कूल से इतर अवयस्क लड़कियों के लिए पोषाहार पर अगले 3 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी

Posted On: 20 SEP 2017 5:54PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंगनबाड़ी सेवाओं और अवयस्क लड़कियों (स्कूल के इतर 11-14 वर्ष) के लिए योजनांगत अनुपूरक पोषाहार के संशोधित लागत संबंधी मानदंडों में आईसीडीएस अम्ब्रेला योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे लम्बे समय से चली आ रही विसंगति को दूर किया गया है और इससे वार्षिक आधार पर लागतों में परिवर्तनों के अनुरूप मानदंडों में संशोधन सुनिश्चित हो सकेगा।

यह सरकार के इस निर्णय के अनुरूप है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत नकद लाभ प्रदान की जाए और यह महिलाओं और बच्चों के पोषाहार के स्तर में सुधार के सघन प्रयास का एक अंग है।

आंगनबाड़ी सेवाओं और अवयस्क लड़कियों (स्कूल के इतर 11-14 वर्ष) के लिए योजनांगत अनुपूरक पोषाहार के संशोधित लागत संबंधी मानदंडों में आईसीडीएस अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लागत एवं वार्षिक लागत सारणी निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | श्रेणी                                     | वर्तमान दर रु./प्रतिदिन/प्रति लाभार्थी | संशोधित दरें रु./प्रतिदिन/प्रति लाभार्थी |
|----------|--|--|--|
| 1        | बच्चे (6-72 माह)                           | 6.00 रु.                               | 8.00 रु.                                 |
| 2        | गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताएं | 7.00 रु.                               | 9.50 रु.                                 |
| 3        | अत्यधिक कुपोषित                            | 9.00 रु.                               | 12.00 रु.                                |
| 4        | अवयस्क लड़कियां (स्कूल से इतर 11-14 वर्ष)  | 5.00 रु.                               | 9.50 रु.                                 |

आंगनबाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों के लिए अनुपूरक आहार हेतु लागत मानदंडों में संशोधन के फलस्वरूप 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए भारत सरकार के अंशदान के चलते 9900 करोड़ रु. तथा अवयस्क लड़कियों के लिए इस निमित्त 2267.18 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा।

आंगनबाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों एवं अवयस्क लड़कियों के लिए अनुपूरक लागत मानदंडों में संशोधन के चलते प्रतिवर्ष करीब 11 करोड़ लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार तथा पोषाहार की स्थिति में सुधार आएगा।

\*\*\*\*\*

अतुल तिवारी/हिमांशु सिंह/बालमीकि महतो/सुरेन्द्र कुमार/लक्ष्मी

(Release ID: 1503478) Visitor Counter : 26

